23/2/25

वकील वादी एवं शेर काजिर। वकील प्रतिवादी सं. 4 एवं 7 ने निवेदन किया है कि कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं। वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने कहा है कि वकील कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं CRP नहीं चाहते हैं। वकील वादीगण ने कहा है अदालत नहीं है। अतः वाद वादीगण पत्रावली से आपस में कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए वाद खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसलशुदा होवे।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर